बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

केन्द्रीय कारा बक्सर से दिनांक–30/31 दिसम्बर, 2016 की रात्रि में बंदी पलायन की घटना में श्री सुर्दशन प्रसाद सिंह, उपाधीक्षक के निलंबन के उपरांत उत्पन्न रिक्ति को दृष्टिपथ में रखते हुए कारा सुरक्षा बनाये रखने एवं आवश्यक दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री सतीश कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया को स्थानान्तरित करते हुए निदेशानुसार केन्द्रीय कारा, बक्सर में पदस्थापित किया जाता है।

2. अधीक्षक मंडल कारा, अररिया को निदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के साथ ही श्री सतीश कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया को केन्द्रीय कारा, बक्सर में योगदान करने के लिए विरमित करेंगे।

3. श्री सतीश कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया को निदेशित किया जाता है कि वे बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये 24 धण्टे के अन्दर केन्द्रीय कारा, बक्सर में अपना योगदान देना सुनिश्चत करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –398 पटना, दिनांक-25 जनवरी, 2017

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णिया/अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया/ अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/1/17

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।